सं.13023/01/2019-प्रशा-II/ डेस्क-एच-5713

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सितंबर, 2022 मास के लिए मंत्रिमंडल को मासिक विवरण

अधोहस्ताक्षरी को ऊपर उद्धृत विषय पर संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 17.08.2018 के अर्ध-शासकीय पत्र सं.1/26/2018-मंत्रिमंडल का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित सितंबर, 2022 मास के लिए मासिक विवरण एतद्द्वारा सूचनार्थ परिचालित किया जाता है।

(रुचिर मित्तल)
निदेशक
दूरभाष: 23350012

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रति:-

i) भारत सरकार के सभी सचिव (सभी मंत्रालय/विभाग)
ii) अवर सचिव (मंत्रिमंडल), कार्यान्वयन प्रकोष्ठ, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
iii) सचिव(पेंशन) के प्रधान निजी सचिव
iv) तकनीकी निदेशक (एनआईसी): इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

सितंबर, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

सितंबर, 2022 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

i. सचिव, पेंशन की अध्यक्षता में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 8 सितंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ एक बैठक आयोजित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और जीवन प्रमाण एप्लिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी तैयारियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। सहायता अनुदान- अनुदान पोर्टल, पीएफएमएस में उपयोगिता प्रमाणपत्र, एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी पर सत्रों का आयोजन किया गया।

ii. विभाग द्वारा उसी दिन सत्रह पेंशन संवितरण बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित की गई थी जिसमें पेंशनभोगियों को सिंगल विंडो और सिंगल लॉग-इन से बैंक से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक पेंशन संवितरण बैंक के साथ पेंशनर्स पोर्टल का एकीकरण शामिल है।

सीपेनग्राम्स

iii सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 28.09.2022 को निदेशक(पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 04 मंत्रालयों/विभागों/संगठन(अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यालय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

iv. इस माह के दौरान, 4248 शिकायतें दर्ज की गई और 4395 का निपटान किया गया। दिनांक 30 सितंबर, 2022 को अंत शेष 2965 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/09/2022 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	30/09/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3112	4248	4395	1898	2965

भविष्य पोर्टल

v. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों को पेंशन प्रक्रिया की निगरानी करने और विलंब को ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 03.10.2022 की स्थिति के अनुसार, 97

मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 816 संबद्ध कार्यालयों में 7901 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' पर की जा रही कार्रवाई देखी जा सकती है। दिनांक 03.10.2022 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम 37304 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों पर की जा रही कार्रवाई को विभिन्न चरणों में देखा जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 174075 पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से सितंबर, 2022 मास में 3172 पीपीओ जारी किए गए। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

vi. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

vii. दिनांक 22 और 23 सितंबर को मुंबई में आसूचना ब्यूरो के लिए भविष्य पर विशेष दो-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था ताकि सभी एसआईबी को भविष्य प्रणाली से जोड़ा जा सके।

viii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने अपने विभागीय ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला रखी है।

अनुभव

ix. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8732 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 30.09.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4637 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रीयाधीन हैं। सितंबर, 2022 मास में, अनुभव के 81 आलेख प्रकाशित किए गए।

संकल्प

x. संकल्प: 'संकल्प' पहल के तहत विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनसे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

जेम(GeM) के माध्यम से खरीद

iv. जेम(GeM) के माध्यम से खरीद:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सितंबर, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि (उत्पादों के लिए आदेश) की आपूर्ति के लिए 2,92,938/- रुपये की राशि के लिए 12 (बारह) आदेश और सेवाओं (अल्प अवधि के लिए वाहनों को किराए पर लेना) के लिए 7800/- रुपये की राशि के लिए 01 (एक) आदेश जेम के माध्यम से दिए हैं।